रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1414] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 2014/आषाढ़ 13, 1936

No. 1414] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 2014/ASHADHA 13, 1936

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2014

का.आ. 1686 (अ).— केंद्रीय सरकार की यह राय है कि सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 139 की उपधारा (1) के खंड (i) और खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए,–

(क) बल का निम्नतम रैंक के सदस्यों के तत्समान रैंक का कोई अधिकारी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 41 की उपधारा (1), धारा 47, धारा 51 की उपधारा (1), धारा 52, धारा 149, धारा 150, धारा 151 और धारा 152 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन सशक्त है ;

(ख) बल के अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों के तत्समान या निम्नतर रैंक का अधिकारी उक्त संहिता की धारा 100 और धारा 131 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त है ;

2. अतः, अब, केंद्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 139 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 3028, तारीख 23 जुलाई, 1969 और का.आ. 353(अ), तारीख 25 जून, 1973 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचनाओं को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह निदेश करती है कि उस उपधारा के खंड (i) और खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए,–

(क) बल का कोई सदस्य, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 41 की उपधारा (1), धारा 47, धारा 51, धारा 52, धारा 149, धारा 150, धारा 151 और धारा 152 के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ;

(ख) बल का कोई अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त संहिता की धारा 100 और धारा 131 के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

अनुसूची

मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्यों में समाविष्ट समस्त क्षेत्र और भारत की सीमाओं के साथ लगी हुई गुजरात राज्य में अस्सी किलोमीटर, राजस्थान राज्य में पचास किलोमीटर और पंजाब, पश्चिमी बंगाल और असम राज्यों में पन्द्रह किलोमीटर की पट्टी के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।

[फा. सं. III-11039/37/2010.जी (भाग–1)]

शांतनु, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2014

S.O. 1686 (E).— Whereas the Central Government is of the opinion that for the purposes specified in clause (i) and clause (ii) of sub-section (1) of section 139 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968),—

(a) an officer of the rank corresponding to that of the lowest rank of member of the Force is empowered under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), to exercise and discharge the powers and duties under sub-section (1) of section 41, section 47, sub-section (1) of section 51, sections 52, 149, 150, 151 and section 152 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(b) an officer of a rank corresponding to or lower than that of officers and subordinate officers of the Force is empowered under the said Code to exercise and discharge the powers and duties under sections 100 and 131 thereof;

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 139 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3028, dated the 23rd July, 1969 and number S.O. 353 (E), dated the 25th June, 1973, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that for the purposes referred to in clause (i) and clause (ii) of sub-section,—

(a) any member of the Force may, within the local limits of the areas specified in the Schedule annexed hereto, exercise and discharge the powers and duties under sub-section (1) of section 41, section 47, sub-section (1) of section 51, sections 52, 149, 150, 151 and section 152 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(b) any officer or subordinate officer of the Force may within the local limits of the areas specified in the said Schedule exercise and discharge the powers and duties under sections 100 and 131 of the said Code.

SCHEDULE

The whole of the area comprised in the States of Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland and Meghalaya and so much of the area comprised within a belt of eighty kilometers in the State of Gujarat, fifty kilometers in the State of Rajasthan and fifteen kilometers in the States of Punjab, West Bengal and Assam, running along the borders of India.

[F. No. III-11039/37/2010-G (Vol.I]

SHANTANU, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.